56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष-- एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2168--दो/2006 विरूद्ध आदेश, दिनाक 28--8--2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 260/05--06 अपील.

रामनाथ पुत्र शिवनारायण जाति ब्राहम्ण
निवासी ग्राम लावन परगना व जिला भिण्ड म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 श्रीमती मुन्नीदेवी कथित पत्नी फुन्दीलाल
2 साक्षी गोपाल कथित पुत्र फुन्दीलाल
3 रूकमणी कथित पुत्र फुन्दीलाल
4 सहोद्रा आयु 15 वर्ष ना0बा0
5 उर्मिला आयु 12 वर्ष ना0बा0
कथित पुत्रियां फुन्दीलाल
नाबालिग सरपरस्त मॉ मुन्नीदेवी कथित
पत्नी फुन्दीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी

--अनावेदकगण

श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के द्वारा प्रकरण कमांक 260/05--06/अपील में पारित आदेश दिनांक 24--8--2006 के विरूद्ध म0 प्र0 भू--राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम लावन व बदनपुर तहसील भिण्ड में स्थित विवादित भूमियां जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी चिरोंजी व भागीरथ थे । ये दोनों विवादित भूमियों पर समान भाग पर भूमिस्वामी थे । भूमिस्वामी चिरोंजी लावल्द फौत हुआ तथा भागीरथ भूमिस्वामी की एक मात्र पुत्री फुलवती थी, वह भी लावल्द फौत हुई । सहायक बंदोबस्त अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर मृतक शिवसिंह का नाम अंकित कर दिये जाने के कारण निगरानीकर्ता द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी, जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–93 से परिवेदित होकर अपील अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 76/02–03/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 2–6–2003 से स्वीकार कर सहायक बंदोबस्त अधिकारी, भिण्ड का आदेश दिनांक 27–12–93 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से दुखी होकर गैर निगरानीकर्तागण के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 260/05–06/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 24–8–2006 से अपील आंशिक स्वीकार करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई के लिये प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2006 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया । अनावेदकगण के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

4/ अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा विचाराधीन आदेश में तथ्यों के संबंध में विस्तृत पूर्ण विवेचना करते हुये ही आदेश पारित किया गया है । पुनः उन्हीं बिन्दुओं को दोहराया जाना आवश्यक नहीं समझता हूँ । निगरानीकर्ता अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के पैरा–1

में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमियों के अभिलिखित भूमिस्वामी चिरोंजी हिस्सा 1/2 भाग तथा भागीरथ हिस्सा 1/2 भाग के थे । चिरोंजी लावल्द फौत हुआ । भागीरथ की एक मात्र पुत्री फूलवती थी । फूलवती फुन्दीलाल को व्हायी थी। फुन्दीलाल की मृत्यु फूलवती की मृत्यु से पहिले ही हो चुकी थी । बाद में फूलवती की भी मृत्यु हो गयी । निगरानीकर्तागण का मुख्य रूप से यह अभिवचन रहा है कि विवादित भूमियों पर वह भू–राजस्व संहिता लागू होने के पूर्व से ही शिकमी की हैसियत से काविज होकर काश्त करता आ रहा है, किन्तु सहायब बंदोबस्त अधिकारी द्वारा विवादित भूमियों पर शिवसिंह का नाम अंकित कर दिया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष निगरानीकर्तागण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी । अपील मेमों में निगरानीकर्तागण द्वारा भागीरथ जो कि 1/2 भाग का भूमिस्वामी था, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था न उसके वैध वारिसानों को ही अभिलेख पर लिया गया था । इसी बिन्दु के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के आदेश को अपास्त करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि उभयपक्षकारों को अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया जावें । मेरे विचार से अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, जिसके कारण हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 24–8–2006 विधिसम्मत आदेश है, यथावत रखा जाता हैं और प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर